

Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata - 700 001

Serial Circular No. 83/2017

No. E.85/0/3/Pt.VIII

Kolkata, Dated: 02/08/2017

All Concerned

(as per standard list)

Sub: Reckoning of pay element for fixation of pay of running staff in stationary posts in Group 'B'.

Following instructions of Ministry of Railways (Railway Board) issued vide their letter No. E(P&A)II-2014/RS-22 dated 28/07/2017 (**RBE No.74/2017**) on the above cited subject are communicated herewith, for information and necessary action.

DA: Hindi version.

(S. Chakraborty)

Sr. Personnel Officer/BGB

For Chief Personnel Officer

Phone No. 24115

Railway Board's letter No. E(P&A)II-2014/RS-22 dated 28/07/2017 (RBE No.74/2017) addressed to the GM/Indian Railways & PUs etc.

Sub: Reckoning of pay element for fixation of pay of running staff in stationary posts in Group 'B'.

Eastern Railway and South East Central Railway had requested for a clarification whether 30% pay element will be reckoned for pay fixation of a running staff who has been selected to a Group 'B' post through selection/LDCE.

2. The issue has been under consideration of this office and it has been decided to clarify that the provisions regarding fixation of pay of running staff in stationary posts contained in Rule 25 (i)(d) of 'The Rules for the payment of running and other allowances to the Running staff on the Railways 1981' and paragraph 924 (i) (d) of IREM-I would also apply in the case of fixation of pay of running staff posted on promotion to the stationary posts in group 'B' also.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of railways.

Sd/-(Salim Md. Ahmed)

Dy. Director/E(P&A)II

Index No. 1068: The extant provision of reckoning 30% pay element for fixation of pay in stationary post would also apply in the case of fixation of pay of running staff posted on promotion to the stationary posts in group 'B'.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(पी एण्ड ए)II-2014/आरएस-22

3742.डी.ई. 74/2017
नई दिल्ली, दिनांक 28.07.2017

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें
और उत्पादन इकाइयां.

विषय: ग्रुप 'बी' में स्टेशनरी पदों पर तैनात रनिंग कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने के लिए
वेतन तत्व की गणना करना।

पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया था कि ऐसे रनिंग कर्मचारियों जिनका चयन/सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप 'बी' पद पर चयन हुआ है, का वेतन निर्धारित करने के लिए 30% वेतन तत्व की गणना की जाएगी अथवा नहीं।

2. इस मुद्दे पर इस कार्यालय में विचार किया गया है और यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है कि रेलों में रनिंग कर्मचारियों को रनिंग एवं अन्य भत्तों का भुगतान करने से संबंधित नियम, 1981 के नियम 25 (i)(घ) और आईआरईएम-1 के पैरा 924(i)(घ) में निहित स्टेशनरी पदों पर रनिंग कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने से संबंधित प्रावधान ग्रुप 'बी' में स्टेशनरी पदों पर पदोन्नति होने पर तैनात रनिंग कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने के मामले में भी लागू होंगे।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

प्रो. स्तुति अहमद

(सलीम. मो. अहमद)

उप निदेशक/ई(पी एण्ड ए)II,
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एण्ड ए)II-2014/आरएस-22

नई दिल्ली, दिनांक 28.07.2017

भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) प्रेषित।



कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(पी एण्ड ए)II-2014/आरएस-22

नई दिल्ली, दिनांक 28.07.2017

- (1) प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.
- (2) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16 आशोक रोड, लखनऊ.
- (3) महानिदेशक आरडीएसओ, लखनऊ.
- (4) निदेशक (क) आईआरआईईईएन, नासिक (ख) आईआरआईसीईएन, पुणे (ग) आईआरआईएमईई, जमालपुर (घ) आईआरआईएसईटी, सिकन्दराबाद.

1 (PAX)